



2026:AHC:124490

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 16699 वर्ष 2026

साहिल उर्फ बिल्लू

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अक्षय रघुवंशी, बी.के. सिंह रघुवंशी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय रघुवंशी, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.डी. शुक्ला को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 94 वर्ष 2025, धारा 103 (1), 191 (2), 191 (3), 190 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7 आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, थाना-खानपुर, जनपद-गाजीपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में आवेदक को मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी अपराध-सूचक सामग्री अभिलेख पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपलब्ध नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त अल्ताफ उर्फ गुड्डू, इसरार, मेराज तथा अंकित सोनकर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सूचनाकर्ता द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर न होकर केवल सुनी-सुनाई सूचना के आधार पर दर्ज कराई गई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास अथवा आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं था। यद्यपि वर्तमान वाद के पंजीकरण के पश्चात उसके विरुद्ध चार अन्य मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 16.04.2025 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है। अंत में यह आश्वासन दिया गया कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सह-अभियुक्त अल्ताफ उर्फ गुड्डू के पिता की मृतक के साथ पुरानी शत्रुता थी। इसी कारण उसने वर्तमान आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों को उक्त अपराध कारित करने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित किया था।

5. न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि सह-अभियुक्त अल्ताफ उर्फ गुड्डू, इसरार, मेराज तथा अंकित सोनकर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी अभिलेख से परिलक्षित होता है कि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता द्वारा सुनी-सुनाई सूचना के आधार पर दर्ज कराई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से पूर्व आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तथापि वर्तमान वाद के उपरान्त उसके विरुद्ध चार अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही, आवेदक दिनांक 16.04.2025 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्त की कथित संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही विचारण न्यायालयों में आपराधिक वादों के अत्यधिक लंबित होने तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025** एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिपादित विधि तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोषों पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **साहिल उर्फ बिल्लू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए: –

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक विचारण एवं विवेचना की कार्यवाही में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सहयोग करेगा तथा किसी भी आधार पर अनावश्यक स्थगन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बंधपत्र की शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा तथा उन शर्तों के अनुरूप संबंधित न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर विधिवत उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. जमानत बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं उसके जमानतदारों की पहचान, सामाजिक स्थिति तथा निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, आवेदक एवं उसके जमानतदारों के मोबाइल नम्बर तथा आधार कार्ड का भी संबंधित न्यायालय द्वारा विधिवत सत्यापन कराया जाएगा।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बोम्स) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह शीर्ष अदालत द्वारा पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन रे: सुओ मोटू रिट पेटिशन (सीआरएल.) नंबर 4 वर्ष 2021 निर्णीत दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जेल अधीक्षक, गाजीपुर के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।